राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक
29.5.2024

अपील सख्या
6/2021

रजू दिनांक
07.09.2021
उनवान

1. तेज्या पिसर मुतबन्ना रामसुखा
2. केसर पुत्र स्व. छोटया
3. प्रभू पुत्र मोती
4. कैली पत्नि मोती
5. रामलाल पुत्र मोती
6. रामप्रसाद पुत्र मोती
7. हजारी पुत्र नाथू
8. सीताराम पुत्र नाथू
9. बद्री पुत्र नाथू
10. रमेश पुत्र नाथू जातियान जाट निवासीयान ग्राम दामोदरपुरा तह0 बस्सी।

–:अपीलाण्ट।

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र मूलचन्द
2. जयनारायण पुत्र मूलचन्द
3. जगदीश पुत्र प्रभात जातियान जाट निवासीयान ग्राम दामोदरपुर तह0 बस्सी जिला जयपुर।
4. गोपी पुत्री प्रभात पत्नी रामनाथ जाट निवासी ग्राम रामनगरिया,जगतपुरा जयपुर।
5. काली पुत्री प्रभात पत्नी गोपाल जाट निवासी ग्राम फूटाला, थाना आंधी तह0 जमवारामगढ
6. शांति पुत्री मूलचन्द पत्नी हनुमान निवासी ग्राम गरूडवासी तह0 चाकसू जिला जयपुर।
7. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

:–रैस्पोडेन्टान।

अपील अंतर्गत धारा 75 भू.राज. अधिनियम विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत टोडाभीम, बाबत इंतकाल सं. 716 दिनांक 20.07.2021 वाके ग्राम दामोदरपुरा।

उपस्थितिः– 1 श्री संजय जैन एड0 अपीलान्टान की ओर से।
2 रेस्पा0 की ओर से कोई हाजिर नही ।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई अपील के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

अपीलान्टान ने अपील पेश कर निवेदन किया कि ख.नं. 213/0.4299 हैक्टेयर वाके ग्राम दामोदरपुरा तह0 बस्सी के खातेदार काना की मृत्यु अरसे दराज पूर्व हो चुकी है। मृतक काना के असल पिता का नाम घासी था जबकि ख.नं. 213 की खातेदारी काना पुत्र जीवण के नाम से गलत दर्ज रही है और इसी वजह से विवादित आराजी का राजस्व इन्द्राज काना की मृत्यु के लगभग 30–40 वर्ष पूर्व होने जाने के उपरांत काना के नाक से ही चली आ रही थी जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। लगभग 600 वर्गगज मे मकान बनाये हुए है तथा 400 वर्गगज मे फलदार वृक्ष लगाये हुए है अपीलान्ट 1 ने विद्युत कनेकस्न भी लगाया हुआ है अपीलान्टान का सजरा खानदान अपील मे दर्ज है।

काफी समय से अपीलान्ट व रेस्पा0 के मध्य पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो जाने की वजह से रेस्पो0 1 लगायत 6 की नियत मे बदनियत आ गई है जिससे रेस्पो0 ने राजस्व कर्मचारियों से साज–बाज कर गलत तथ्यों एवं गलत दस्तावेजात गलत शपथ पत्र पेश कर विचाराधीन जेर अपील नामांतकरण ग्राम पंचायत से तस्दीक करा लिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से नही रही है दिनांक 17.08.2021 को अपीलान्ट संख्या 1 का पुत्र तहसील कार्यालय बस्सी मे अपने अन्य राजस्व रिकॉर्ड की नकले लेने

गया तब जानकारी हुई, जानकारी होने पर नकल प्रार्थना पत्र पेश किया दिनांक 18.08.2021 को नकल प्राप्त हुई नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क किया तथा दिनांक 19.08.2021 का मोहर्रम का अवकाश होने के कारण दिनांक 20.0.2021 को अपील प्रस्तुत की जानी थी परन्तु अवकाश होने के कारण आज दिनांक 24.08.2021 को मय प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम पेश की जा रही है।

इंतकाल के निर्णय से पूर्व मौके व कब्जे की जांच किये बिना ही इंतकाल तस्दीक करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरासर गलती की है। काना की मृत्यु लगभग 30–40 वर्ष पूर्व हुई थी रिकॉर्ड मे गलत अंकन के कारण उसका नाम दर्ज चला आ रहा था। रेस्पा0 ने साज–बाज होकर गलत दस्तावेजों के आधार पर विरासत इंतकाल अपने नाम दर्ज कराया है जो इंतकाल हर सूरत मे काबिल खारिज है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक इंतकाल संख्या 716 दिनांक 20.07.2021 निरस्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामील रेस्पा0 न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए। वकील अपीलान्टान की बहस सुनी गई हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

पत्रावली मे प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र मे काना के पिता का नाम जीवण दर्ज है। काना की मृत्यु वर्ष 1985 मे होना दर्ज किया है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2021 को जारी कराया गया है। वर्ष 1985 से 2021 तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नही कराया गया लगभग 36 वर्ष के पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराया जाकर रेस्पा0 द्वारा विरासत इंतकाल अपने पक्ष मे दर्ज कराये जाने मे संदेह पैदा करता है अपीलान्ट द्वार अपील मे दर्ज सजरे के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल संख्या 716 ग्राम दामोदरपुरा तह0 बस्सी के निर्णय से पूर्व मृतक काना के विधिक वारीसान की कोई जाच नही की गई तथा ना ही अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इसलिए प्रकरण विस्तृत जाच का मोहताज है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि:–

अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टोडाभीम का आदेश दिनांक 20.07.2021 बाबत इंतकाल सं. 716 वाके ग्राम दामोदरपुर तह0 बस्सी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार,बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो मृतक काना पुत्र जीवण के विधिक वारीसान की विस्तृत जाच कर एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,बस्सी को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

29/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी(जयपुर ग्रामीण)
उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर